

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धौद जिला - सीकर

गोपाल बनाम सुरेश  
 किस्म मुकदमा कावा मु.नं. 217/ वर्ष  
2025

दिनांक	आज्ञा - पत्र
25 <sup>03</sup> / <sub>26</sub>	पत्रावली पेश हुई। वकील उममपस एफ.। पत्रावली वास्ते ई.पी.ए. प्रस्ताव डि. 28 <sup>04</sup> / <sub>26</sub> को पेश की।
28/4/26	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषक संघ का कार्य स्थगन है। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 29/4/26 को पेश हो।
29/4/26	पत्रावली पेश की। वकील हरमण्ड रहलीलदाद धार के पत्रक: श.क. 26/538 डि. 13/4/26 के साथ विवरण प्रस्तुत आदि का गरी मकसद को ध्यान में शरित पत्रावली रहे। इकर का अपेक्षा का मकसद लक्ष्य है। यह हरमण्ड के पुत्री की पत्रावली वास्ते कोडि डि. 11/5/2026 को पेश की।
11/5/2026	पत्रावली वास्ते कोडि पत्र उड़ी। वकील हरमण्ड (2) कछ पा मक कि। एक पत्रावली का अवलोकन कि। रहलीलदाद धार के पत्र विवरण प्रस्ताव के मकसद को ध्यान में के विरुद्ध व वरिष्ठ वकील धार को मिजाजको मक शरित पत्रावली किये को कोडि कुले मकसद के प्रस्ताव का पत्रावली के मक मक मक मक मक मक मक मक मक

12/5/26  
 पत्र विवरण  
 प्रस्ताव  
 अ.पी.  
 मक मक  
 मक मक  
 मक



उपखण्ड अधिकारी  
 धौद जिला-सीकर